

20-5-16 पञ्जील उभयपक्ष उपस्थित है। पत्रावली दि० 8-4-16 को राजस्व लोक अदालत कैम्प तलावडा पर पेशादी प्रीमान 5.00- सा० भ्रमण पर है।

8-6-2016 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प तलावडा पर पेश हुई। वादी नं० 1 तथा प व प्रतिवादी भजन उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी नं० 1 भजन की सातेदारी भूमि खण नं० 1331 स्थित ग्राम तलावडा में से पूर्वी उत्तरी भूमि रकबा 9 सयर प्रतिवादी भजन के नाम से कम की जाकर वादीगण की सातेदारी में पृथक से बरा नम्बर डालकर दर्ज कर दी जावे एवं इसी प्रकार राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती कर दी जावे।

सम्पूर्ण  
निःसंशय  
होसकाम  
वर्तमान  
गुलाब

प्रस्तुत राजीनामे का, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पक्षकारों को सुना गया। पक्षकार राजीनामे अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमत है।

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। भूमि खण नं० 1331 ग्राम तलावडा में से उत्तरी पूर्वी भूमि रकबा 9 सयर को वादीगण को सातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह 9 सयर भूमि प्रतिवादी भजन की सातेदारी से कम की जाकर वादीगण की सातेदारी में दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्ड्रज दुरुस्ती की जावे। पंच डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दारिकिल दफ्तर हो।

(मतीश कुमार शर्मा) (रवि कुमार शर्मा) (मुनि देव शादक)  
 सडकोकेट सडकोकेट अध्यक्ष  
 सदस्य सदस्य  
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत  
 गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी

सप्त जिला कलेक्टर

मूल वाद मे डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) तलावडा  
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.,

उनवान

1. रामधन पुत्र हाबूड्या, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. सम्पू पुत्र हाबूड्या, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
3. हीरा पुत्र हाबूड्या, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
4. गुलाब पुत्र हाबूड्या, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
5. केशर बेवा हाबूड्या, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. भजन पुत्र गंगाधर, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. किस्तूरी देवी पत्नि रामसहाय, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
3. किस्तूरी देवी पत्नि रामबल, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी(मृतक)
- 3/1. सुरज्या पुत्र रामबल, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
- 3/2. गुलबाई पुत्री रामबल, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

नुकदमा नं. - 179/2006

वादी की ओर से वादी रामधन व अन्य की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी भजन की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 8.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है। नूनि ख0न0 1331 ग्राम तलावडा में से पूर्वी उत्तरी भूमि रकबा 9 एयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह 9 एयर भूमि प्रतिवादी भजन की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

यह आज तारीख 8.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
गंगापुर सिटी

वादी	वाद के खर्चे		रुपया
	रुपया	प्रतिवादी	
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)  
केम्प कोर्ट का स्थान :- तलावड़ा

गंगापूर सिटी

**राजीनामा प्रपत्र**

पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 8-6-2006

गंगापूर सिटी

रामधन वर्गौर बनाम

भजन वर्गौर

संख्या - 173/2006 अन्तर्गत धारा

88, 207, 188 R.T.A.

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री रामधन वर्गौर

उक्त प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सवन्ध अच्छे हो चुके हैं। हम आपसे राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार प्रतिवादी नं० 1 भजन की स्वामिनी भूमि खण्ड नं० 133 स्थित ग्राम तलावड़ा में से पूर्वी उत्तरी भूमि नक्शा 9 अथवा प्रतिवादी भजन के नाम से कम्प की जाकर वादीगण को स्वामिनी में पृथक से कटा नम्बर डालकर दर्ज करवा दी जावे एवं इसी प्रकार राजस्व भूमिलेख, नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती कर दी जावे। इसमें हम पक्षकारों सहमत हैं। इसी अनुसार दावे का निर्णय कर दिया जावे। हम दोनों से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तर्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रतिवादी पक्ष 1. ....

2. दीरा लाल

2. मलन

3. गुलाब

3. ....

4. रामधन वर्गौर

4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

शैरोजमीन  
सरपंच  
ग्राम पंचायत तलावड़ा  
गंगापूर सिटी (तलावड़ा)

(प्रतिवादी पक्ष) नाम

रामधन वर्गौर

एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी भजन

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना सुनिश्चित है। राजीनामा हस्तस्वादिश पक्षकार तर्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिराल रहे।

रवि कुमार शर्मा  
(हो सदस्य)

रवि कुमार शर्मा  
(हो सदस्य)

मुनिदेव यादव

सदस्य

सदस्य

(मुनिदेव यादव)

लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

शांरु  
8-6-2016  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

10

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) तलावड़ा

### आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ..... तलावड़ा

नम्बर मुकदमा..... 179/2006

उनवान मुकदमा.....

रामधन वगैरा

बनाम

भजन वगैरा

दावा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा  
करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/  
अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक  
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता  
है।


अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

स्थान..... तलावड़ा

दिनांक..... 8-6-16

प्रार्थी

भजन



श्री रामधन

भजन

गुलाब

हीरामाता